HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT
Notification

The 3rd July, 2018

No.5/52/2016-1AR,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (Central Act 22 of 2005), the Government of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right to Information Rules, 2009, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Right to Information (Amendment) Rules, 2018.
2. In the Haryana Right to Information Rules, 2009, for rule 10, the following rule shall be substituted namely:-

"10 (1) The Commission shall make order in writing and pronounce the same in the presence of the concerned parties.

(2) The Commission may, at the time of deciding any complaint/ appeal, impose penalty on a State Public Information Officer in accordance with the provisions of section 20 of the Act.

(3) A copy of the order of the Commission imposing penalty on a State Public Information Officer shall be forwarded to the Registrar. After receipt of such order, the Registrar shall enter the details thereof in a register maintained for the purpose in Form'C'.

(4) The penalty order shall be conveyed by the Registrar vide a letter in Form 'D' to the controlling authority concerned for recovery of the penalty amount from the salary of the State Public Information Officer and for the deposit of this amount in the following head of account, by the date fixed namely:-

Major Head	0070-Other Administrative services
Sub Major Head	60-Other Services
Minor Head	118-Receipts under Right to Information Act,2005 (Central Act 22 of 2005)
Sub Head	98-Penalities imposed under Right to Information Act,2005 (Central Act 22 of 2005)
Detailed Head	51-NA
Object Head	00-No Standard Object Head

(5) The Government shall make necessary arrangements to ensure recovery of the penalty amount from the State Public Information Officer concerned in compliance of the order of the Commission.

(6) The Registrar shall be responsible for following up each such matter in which the Commission has imposed penalty on any State Public Information Officer, till compliance report is received.

(7) The party concerned may obtain the copy of the order from the Commission."

3. In the said rules, after Form 'B', the following forms shall be added, namely:-

' Form 'C'

[see rule 10(2)]

Register of penalties imposed under section 20 of the Right to Information Act, 2005.

Serial Number	Registration number of complaint/ appeal	Name of the bench which passed the penalty order	Date of order	Amount of penalty imposed with details of Installments, if any.	Name and address of complainant/ appellant	Name (if available), designation and address of State Public Information Officer against whom penalty imposed	Date on which compliance of penalty order reported	Remarks
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

FORM 'D'
[see Rule 10(3)]
State Information Commission, Haryana.

Complaint/Appeal Registration No......................

Sh./Smt...Complainant /Appellant
Vs
....Opposite Party

From: Registrar
State Information Commission, Haryana
....
....
Chandigarh

To: ....
....

(Name, designation and address of officer who will recover the penalty imposed)

Whereas a complaint /second appeal was presented by Sh/Smt.............................
resident of ....(address) and was registered in this Commission as above;

And whereas the aforesaid complaint/ appeal has been decided by the bench of Sh./Smt...
....who in exercise of powers vested under section 20 of the Right to Information Act, 2005 has ordered imposition of penalty on the State Public Information Officer concerned as follows:

(a) Name (if available), designation and address ....
of the State Public Information Officer on
whom penalty imposed ....
....

(b) Amount of penalty imposed with details of...
Installments fixed, if any. ....

A copy of the aforesaid order is annexed.

Now therefore, you are requested to ensure compliance of the aforesaid order by deduction of the amount of the penalty as aforesaid from the salary of the state public Information officer concerned and deposit the amount so recovered in the following head of account:

Major Head	0070-Other Administrative services
Sub Major Head	60-Other Services
Minor Head	118-Receipts under Right to Information Act,2005 (Central Act 22 of 2005)
Sub Head	98-Penalities imposed under Right to Information Act,2005 (Central Act 22 of 2005)
Detailed Head	51-NA
Object Head	00-No Standard Object Head

You are further requested to send a report on action taken in compliance of aforesaid order of the Commission within three months of the date of this letter.

Date:

Registrar
State Information Commission, Haryana.

D.S.Dhesi,
Chief Secretary to Government, Haryana.

हरियाणा सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

दिनांक 3 जुलाई, 2018

संख्या 5/52/2016–1ए0आर0–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22), की धारा 27 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सूचना का अधिकार (संशोधन) नियम, 2017 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सूचना का अधिकार नियम, 2009 (जिसे, जिसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:–

"10 (1) आयोग लिखित में आदेश करेगा और सम्बद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में उसे सुनाएगा।

(2) आयोग, किसी शिकायत अपील को विनिश्चय करते समय अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

(3) आयोग के राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति के आदेश की प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी। ऐसे आदेश की प्राप्ति के बाद, रजिस्ट्रार प्ररूप–ग में प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में उसके विवरण दर्ज करेगा।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से शास्ति राशि की वसूली के लिए तथा नियत तिथि तक इस राशि को निम्नलिखित लेखा शीर्ष में जमा करवाने के लिए सम्बद्ध नियन्त्रक प्राधिकारी को प्ररूप घ में पत्र द्वारा शास्ति आदेश सम्प्रेषित किया जाएगा, अर्थात्:–

मुख्य शीर्ष	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं
उप–मुख्य शीर्ष	60–अन्य सेवाएं
लघु शीर्ष	118–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन प्राप्तियां
उप– शीर्ष	98–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन अधिरोपित शास्तियॉ
विस्तृत– शीर्ष	51–NA
ऑब्जेक्ट – शीर्ष	00–कोई मानक ऑब्जेक्ट शीर्ष नही

(5) आयोग के आदेश की अनुपालना में, सरकार सम्बद्ध राज्य लोक सूचना अधिकारी से शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करेगी।

(6) रजिस्ट्रार, प्रत्येक ऐसे मामले, जिसमें आयोग ने किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की है, में जब तक अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नही होती है, बाद की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) सम्बद्ध पक्षकार आयोग से आदेश की प्रति प्राप्त कर सकता है"।

3. उक्त नियमों में, आदर्श प्ररूप 'ख' के बाद, अन्त में, निम्नलिखित प्ररूप जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"प्रारूप ग

{देखिए नियम 10 (2)}

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अधिरोपित शास्तियों का रजिस्टर

क्रम संख्या	शिकायत/शास्ति अपील की पंजीकरण संख्या	आदेश पारित करने वाली बैंच का नाम	आदेश की तिथि	अधिरोपित की राशि तथा किस्तों का विवरण (यदि कोई)	शिकायत/अपीलार्थी का नाम तथा पता	राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध हो), पदनाम तथा पता जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है	तिथि जिसको शास्ति आदेश की अनुपालना रिर्पोट दी गई है।	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रारूप घ
[देखिए नियम 10 (3)]
हरियाणा राज्य जन सूचना आयोग

शिकायत/अपील का पंजीकरण संख्या ....

श्री/श्रीमति ....शिकायतकर्ता/ अपीलकर्ता

बनाम

....विरोधी पक्षकार

प्रेषक

रजिस्ट्रार,
राज्य सूचना आयोग, हरियाणा
....
....
चण्डीढ ।

सेवा में

....
....

(अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता जिसके द्वारा अधिरोपित शास्ति की वसूली की जाएगी)

चुंकि, श्री/श्रीमती .... निवासी .... (पता) द्वारा शिकायत/द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, जो इस आयोग में उक्त अनुसार पंजीकृत की गई है।

और चूंकि, श्री/श्रीमती .... की न्यायपीठ द्वारा उपरोक्त शिकायत/अपील विश्चित की गई है, जिसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बद्ध राज्य लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने का आदेश दिया है जो निम्नानुसार है:–

(क) राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम (यदि उपलब्ध है), पदनाम तथा पता, जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है:–

....

....

(ख) अधिरोपित शास्ति की राशि तथा नियत किस्तों का विवरण यदि कोई हों ....

उक्त आदेश की एक प्रति संलग्न है।

इसलिए, अब आपसे सम्बद्ध राज्य लोक सूचना अधिकारी के वेतन से यथा उपरोक्त शास्ति की राशि की कटौती करते हुए उपरोक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

मुख्य शीर्ष	0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं
उप–मुख्य शीर्ष	60–अन्य सेवाएं
लघु शीर्ष	118–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन प्राप्तियां
उप– शीर्ष	98–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन अधिरोपित शास्तियॉ
विस्तृत– शीर्ष	51–NA
ऑब्जेक्ट – शीर्ष	00–कोई मानक ऑब्जेक्ट शीर्ष नही

आपसे पुनः अनुरोध है कि इस पत्र की तिथि से तीन मास के भीतर आयोग के उपरोक्त आदेश की अनुपालना में की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजें।

दिनांक:

रजिस्ट्रार
राज्य जन सूचना आयोग, हरियाणा"।

डी0एस0ढेसी
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।